

क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./02/08/2921

भोपाल,दिनांक 8/10/2008

/आदेश/

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2007-08 की कण्डिका 12.2 में निहित निर्देश के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कॉलम क्रं.-2 में उल्लेखित कर्मचारी का स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख जिले में किया जाता है:-

स.क्रं.	कर्मचारी का नाम/पदस्थापना	वर्तमान पदस्थापना का जिला	नवीन पदस्थापना का जिला
1	2	3	4
2.	श्रीमती रूक्मिणी निरत,सहा.शि.प्रा.शाला बिलौंजी केन्द्र शा.प्रा.शा.मनियारी(बैङ्कन)	सीधी (सिंगरौली)	रीवा


- 2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।
- 3/ उक्त सभी स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- 4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे।
- 5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये।
- 6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा।
- 7/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2007-08 की कण्डिका-9.17 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने के निर्देश है। अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें कि किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये।

निरन्तर.....2



/2/


- 8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए; पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्त उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयवधि में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।
प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार।


सहायक संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./02/08/2022
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 8/10/2008

1. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय-भोपाल।
2. निज सचिव, मान.मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. निज सचिव, मान.राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
5. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. कलेक्टर, जिला-सीधी (सिंगरौली) एवं रीवा म.प्र.।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला- सीधी (सिंगरौली) एवं रीवा म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, संभागीय कार्यालय, संभाग-रीवा मध्यप्रदेश।
9. जिला कोषालय अधिकारी, जिला- सीधी (सिंगरौली) एवं रीवा म.प्र.।
10. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- सीधी (सिंगरौली) एवं रीवा म.प्र.।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
11. संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री.....
.....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


सहायक संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.3/री-2/अं.जि.स्था./15/08/2868

भोपाल,दिनांक 8/10/2008

/आदेश/

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2007-08 की कण्डिका 12.2 में निहित निर्देश के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कॉलम क्रं.-2 में उल्लेखित कर्मचारी का स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख जिले में किया जाता है:-

स.क्रं.	कर्मचारी का नाम/पदस्थापना	वर्तमान पदस्थापना का जिला	नवीन पदस्थापना का जिला
1	2	3	4
2.	श्री शलकांत बहादुर सिंह,व्यायाम शिक्षक,शा.उ.मा.वि.छिबौरा	सतना	रीवा

- 2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।
- 3/ उक्त सभी स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- 4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे।
- 5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये।
- 6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा।
- 7/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2007-08 की कण्डिका-9.17 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने के निर्देश है। अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें कि किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये।


निरन्तर.....2

h

श्रीम

/2/

- 8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ति उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयावधि में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।
प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार।



सहायक संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./15/08/2869
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 8/10/2008

1. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय-भोपाल।
2. निज सचिव, मान.मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. निज सचिव, मान.राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
5. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. कलेक्टर, जिला-सतना एवं रीवा म.प्र.।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला- सतना एवं रीवा म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, संभागीय कार्यालय, संभाग-रीवा मध्यप्रदेश।
9. जिला कोषालय अधिकारी, जिला- सतना एवं रीवा म.प्र.।
10. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- सतना एवं रीवा म.प्र.।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
11. संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री.....

.....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


सहायक संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./15/08/2866

भोपाल, दिनांक 8/10/2008

/आदेश/

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2007-08 की कण्डिका 12.2 में निहित निर्देश के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कॉलम क्र.-2 में उल्लेखित कर्मचारी का स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनगान में उनके नाम के सम्मुख जिले में किया जाता है-

स.क्र.	कर्मचारी का नाम/पदस्थापना	वर्तमान पदस्थापना का जिला	नवीन पदस्थापना का जिला
1	2	3	4
1.	श्रीमती असमा अनीस, सहा.शि.शा.प्रा.शा. क्रमांक 1 इछावर	सीहोर	भोपाल
2.	श्रीमती अर्चना भिड़े, सहा.शि.शा.प्रा.वि. दत्तपड़ा तह.घटिया	उज्जैन	खरगौन
3.	श्रीमती सविता मिश्रा, प्र.अ.मा.वि.करहिया नं.1	रीवा	सीधी
4.	श्री रमेशचन्द्र जाटव, सहा.शि.(विज्ञान) शा.उ.मा.वि.महागढ़	नीमच	मन्दसौर
5.	श्री महेन्द्र कुमार खरे, सहा.शि.शा.मा.शाला सुंगरहा संकुल कचौरी तह.शाहनगर	पन्ना	दमोह
6.	श्री बी.डी.डढोरे, उ.श्रे.शि.मा.शाला हनोतिया वि.खं.जुन्नारदेव	छिन्दवाड़ा	होशंगाबाद
7.	श्री हीरालाल नागेश, सहा.शि.शा.उ.मा.वि.	हरदा	भोपाल
8.	श्रीमती प्रियंका धनोडकर, प्र.अ.शा.क.मा. वि.हासलपुर तह.महुँ	इन्दौर	खरगौन

- 2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।
- 3/ उक्त सभी स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- 4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे।
- 5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत करायें।



निरन्तर..... 2

- 6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा।
- 7/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2007-08 की कंडिका-9.17 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने के निर्देश है। अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें कि किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये।
- 8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्त उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयावधि में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।
प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार।

सहायक संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 8/10/2008

पृ. क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./15/08/2867
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय-भोपाल।
2. निज सचिव, मान.मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. निज सचिव, मान.राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
5. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. कलेक्टर, जिला-सीहोर, भोपाल, उज्जैन, खरगौन, रीवा, सीधी, नीमच, मन्दसौर, पन्ना, दमोह, छिन्दवाड़ा, होशंगाबाद, हरदा एवं इन्दौर म.प्र.।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला- सीहोर, भोपाल, उज्जैन, खरगौन, रीवा, सीधी, नीमच, मन्दसौर, पन्ना, दमोह, छिन्दवाड़ा, होशंगाबाद, हरदा एवं इन्दौर म.प्र.।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला- सीहोर, भोपाल, उज्जैन, खरगौन, रीवा, सीधी, नीमच, मन्दसौर, पन्ना, दमोह, छिन्दवाड़ा, होशंगाबाद, हरदा एवं इन्दौर म.प्र.।
9. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, संभागीय कार्यालय मध्यप्रदेश।
10. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- सीहोर, भोपाल, उज्जैन, खरगौन, रीवा, सीधी, नीमच, मन्दसौर, पन्ना, दमोह, छिन्दवाड़ा, होशंगाबाद, हरदा एवं इन्दौर म.प्र.।
11. संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री.....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

सहायक संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./15/08/2868

भोपाल,दिनांक 8/10/2008

/आदेश/

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2007-08 की कण्डिका 12.2 में निहित निर्देश के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कॉलम क्र.-2 में उल्लेखित कर्मचारी का स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख जिले में किया जाता है-


स.क्र.	कर्मचारी का नाम/पदस्थापना	वर्तमान पदस्थापना का जिला	नवीन पदस्थापना का जिला
1	2	3	4
2.	श्री शलकांत बहादुर सिंह,व्यायाम शिक्षक,शा.उ.मा.वि.छिबौरा	सतना	रीवा

- 2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।
- 3/ उक्त सभी स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- 4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे।
- 5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये।
- 6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा।
- 7/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2007-08 की कण्डिका-9.17 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने के निर्देश है। अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें कि किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये।

निरन्तर.....2

/2/

- 8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्त उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयावधि में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।
प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार।


सहायक संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश


पृ. क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./15/08/2869

भोपाल, दिनांक 8/10/2008

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय-भोपाल।
2. निज सचिव, मान.मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. निज सचिव, मान.राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
5. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. कलेक्टर, जिला-सतना एवं रीवा म.प्र.।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला- सतना एवं रीवा म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, संभागीय कार्यालय, संभाग-रीवा मध्यप्रदेश।
9. जिला कोषालय अधिकारी, जिला- सतना एवं रीवा म.प्र.।
10. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- सतना एवं रीवा म.प्र.।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
11. संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री.....

.....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


सहायक संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश


क्रमांक/स्थापना-3/सी-2/15/2008/2864

भोपाल, दिनांक 8/10/2008

/आदेश/

संचालनालय द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन उपरान्त पूर्व में जारी स्थानांतरण आदेश क्रं./स्था. 3/सी-2/अं.जि.स्था./02/09/08/2418-19 दि.03.09.2008 की सूची स.क्रं.5 में त्रुटिवश श्री नरेश प्रसाद त्यागी, उ.श्रे.शि.शा.उ.मा.वि.मिहोना जिला-भिण्ड से जिला-ग्वालियर किया गया था। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार उक्त जारी भिण्ड जिले से ग्वालियर जिले के लिया किया गया स्थानांतरण, तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।


"प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार"



सहायक संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/स्थापना-3/सी-2/15/2008/2865
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 8/10/2008

- 1/ निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मंत्रालय-भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 2/ निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ।
- 3/ निज सचिव, माननीय राज्यमंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ।
- 4/ प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
- 5/ संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, पुस्तक भवन अरेरा हिल्स, भोपाल, म.प्र.।
- 6/ कलेक्टर, जिला-भिण्ड, ग्वालियर म.प्र.।
- 7/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-भिण्ड एवं ग्वालियर म.प्र.।
- 8/ संयुक्त संचालक, संभागीय कार्यालय संभाग-ग्वालियर म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
- 9/ जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-भिण्ड एवं ग्वालियर म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 10/ कोष एवं लेखा अधिकारी, जिला-भिण्ड एवं ग्वालियर म.प्र.।
- 11/ संबंधित-श्री/श्रीमती/कु.....
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


सहायक संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश



लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश


क्रमांक/स्थापना-3/सी-2/15/2008/2870

भोपाल, दिनांक 8/10/2008

/आदेश/


श्री चैन सिंह पंवार, व्यायाम शिक्षक, शा.उ.मा.वि.कंजार्ड तह.मनासा जिला-नीमच का स्वैच्छिक आवेदन अनुसार समान सामर्थ्य, वेतनमान में स्वयं के व्यय पर संस्था प्राचार्य की रिक्त पद संबंधी अनुशांसा के आधार पर स्थानांतरण-शा.उ.मा.वि.कुण्डला (मनासा) जिला-नीमच में तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

"प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार"


सहायक संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 8/10/2008

पृ.क्रमांक/स्थापना-3/सी-2/15/2008/2871
प्रतिलिपि:-

- 1/ निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश, मंत्रालय-भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 2/ निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ।
- 3/ निज सचिव, माननीय राज्यमंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ।
- 4/ निज सचिव, प्रभारी मंत्री, जिला-नीमच, म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
- 5/ स्टॉफ आफिसर, आयुक्त लोक शिक्षण की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6/ कलेक्टर, जिला-नीमच, म.प्र.।
- 7/ संयुक्त संचालक, संभागीय कार्यालय संभाग-उज्जैन, म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
- 8/ जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-नीमच, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 9/ कोष एवं लेखा अधिकारी, जिला-नीमच, म.प्र.।
- 10/ संबंधित-श्री/श्रीमती/कु.....
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


सहायक संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश


क्रमांक/स्थापना-3/सी-2/15/2008/2864

भोपाल, दिनांक 8/10/2008

/आदेश/

संचालनालय द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन उपरान्त पूर्व में जारी स्थानांतरण आदेश क्रं./स्था. 3/सी-2/अं.जि.स्था./02/09/08/2418-19 दि.03.09.2008 की सूची स.क्रं.5 में त्रुटिवश श्री नरेश प्रसाद त्यागी, उ.श्रे.शि.शा.उ.मा.वि.मिहोना जिला-भिण्ड से जिला-ग्वालियर किया गया था। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार उक्त जारी भिण्ड जिले से ग्वालियर जिले के लिया किया गया स्थानांतरण, तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

"प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार"



सहायक संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/स्थापना-3/सी-2/15/2008/2865

भोपाल, दिनांक 8/10/2008

प्रतिलिपि:-

- 1/ निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मंत्रालय-भोपाल की ओर सूचनार्थ।
 - 2/ निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ।
 - 3/ निज सचिव, माननीय राज्यमंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ।
 - 4/ प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
 - 5/ संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, पुस्तक भवन अरेरा हिल्स, भोपाल, म.प्र.।
 - 6/ कलेक्टर, जिला-भिण्ड, ग्वालियर म.प्र.।
 - 7/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-भिण्ड एवं ग्वालियर म.प्र.।
 - 8/ संयुक्त संचालक, संभागीय कार्यालय संभाग-ग्वालियर म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
 - 9/ जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-भिण्ड एवं ग्वालियर म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
 - 10/ कोष एवं लेखा अधिकारी, जिला-भिण्ड एवं ग्वालियर म.प्र.।
 - 11/ संबंधित-श्री/श्रीमती/कु.....
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।


सहायक संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश